



# भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, भोपाल Bhopal Memorial Hospital & Research Centre, Bhopal

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार  
DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH, MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE, GOVERNMENT OF INDIA

Amendment No.	03
Date of Amendment	28/08/2018

## DEPARTMENT OF REGISTRATION

### SOP

#### **Standard Operating Procedures for Dependent Registration**

1. Definition of dependent- All those children of gas victims who are born after the occurrence of Gas Tragedy.
2. The registration for dependents will be carried out in BMHRC as well as in mini units on as and when required basis.
3. The documentary requirements (for verification purpose) for registering dependents will be as follows:

**a) In Mini units of BMHRC Verification of documents by respective mini unit In charges or In charge Registration**

- i. Birth certificate from Nagar Nigam or Matriculation (10<sup>th</sup>) mark sheet of dependent.
- ii गैस पीडित आश्रितों के पंजीयन के लिए जन्मतिथी के प्रमाण के दस्तावेजों के रूप में नगर निगम द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल की अंकसूची (कक्षा दसवीं) के नहीं होने पर निम्नलिखित दस्तावेज भी जन्मतिथी प्रमाण के दस्तावेजों के रूप में मान्य होंगे जिनमें गैस पीडित माता या पिता का नाम अंकित हो अथवा दस्तावेजों में माता या पिता का आश्रित से संबंध स्थापित होता हो।

- (1) मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा जारी किसी भी कक्षा की अंकसूची जिसमें जन्मतिथी अंकित हो।
- (2) राशन कार्ड (यदि जन्मतिथि लिखी हो)
- (3) पासपोर्ट
- (4) पेन कार्ड
- (5) ड्रायविंग लायसेंस
- (6) आधार कार्ड
- (7) मतदाता पहचान पत्र

मरीज जो कि गैस पीडितों के आश्रित हैं और उनका गैस पीडित आश्रित श्रेणी के अन्तर्गत पंजीयन होना है जिसके लिए जन्मतिथी प्रमाण के दस्तावेजों के रूप में उपरोक्त दस्तावेजों के नहीं होने पर ऐसी स्थिति में उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन विभाग /मिनी यूनिट में उपलब्ध घोषणा पत्र क्रमांक 2 भरकर स्व-प्रमाणित करके प्रस्तुत करने पर मान्य होगा।

- iii. 2 Passport Size photographs.
- iv. Original Antim Adesh Patra (final decision paper) of Gas Victim.
- v. Original Pro Rata paper of Gas Victim.
- vi. गैस पीड़ितों के अभिलेख अंतिम आदेश पत्र और प्रोरेटा भुगतान आदेश पत्र की मूल प्रति नहीं होने पर, निम्न प्रकार की प्रतिलिपियाँ जो कि कार्यालय कल्याण आयुक्त गैस राहत द्वारा जारी की गई हैं।

- सत्य, सत्यापित, प्रमाणित प्रतिलिपि।
- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जारी की गई प्रतिलिपि।
- नकल (फोटो कापी) मूल अभिलेखों के अवार्ड के आधार पर तैयार करके सत्यापित कर जारी की गई प्रतिलिपि।

उपरोक्त प्रतिलिपियाँ भी मूल अभिलेख (अंतिम आदेश पत्र और प्रोरेटा भुगतान आदेश पत्र) के समकक्ष मान्य होंगी।

**b) Refer from Mini units to BMHRC**

- i. Refer letter/form along with attested photocopies of below mentioned documents from respective mini unit.
- ii. Birth certificate from Nagar Nigam or Matriculation (10<sup>th</sup>) mark sheet of dependent.
- iii. गैस पीड़ित आश्रितों के पंजीयन के लिए जन्मतिथी के प्रमाण के दस्तावेजों के रूप में नगर निगम द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल की अंकसूची (कक्षा दसवीं) के नहीं होने पर निम्नलिखित दस्तावेज भी जन्मतिथी प्रमाण के दस्तावेजों के रूप में मान्य होंगे जिनमें गैस पीड़ित माता या पिता का नाम अंकित हो अथवा दस्तावेजों में माता या पिता का आश्रित से संबंध स्थापित होता हो।

- (1) मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा जारी किसी भी कक्षा की अंकसूची जिसमें जन्मतिथी अंकित हो।
- (2) राशन कार्ड (यदि जन्मतिथि लिखी हो)
- (3) पासपोर्ट
- (4) पेन कार्ड
- (5) ड्रायविंग लायसेंस
- (6) आधार कार्ड
- (7) मतदाता पहचान पत्र

मरीज जो कि गैस पीड़ितों के आश्रित हैं और उनका गैस पीड़ित आश्रित श्रेणी के अन्तर्गत पंजीयन होना है जिसके लिए जन्मतिथी प्रमाण के दस्तावेजों के रूप में उपरोक्त दस्तावेजों के नहीं होने पर ऐसी स्थिति में उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन विभाग /मिनी यूनिट में उपलब्ध घोषणा पत्र क्रमांक 2 भरकर स्व-प्रमाणित करके प्रस्तुत करने पर मान्य होगा।

- iv. 2 Passport Size photographs.
- v. Original Antim Adesh Patra (final decision paper) of Gas Victim.
- vi Original Pro Rata paper of Gas Victim .
- vii. गैस पीड़ितों के अभिलेख अंतिम आदेश पत्र और प्रोरेटा भुगतान आदेश पत्र की मूल प्रति नहीं होने पर, निम्न प्रकार की प्रतिलिपियाँ जो कि कार्यालय कल्याण आयुक्त गैस राहत द्वारा जारी की गई हैं।
  - सत्य, सत्यापित, प्रमाणित प्रतिलिपि।
  - सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जारी की गई प्रतिलिपि।
  - नकल (फोटो कापी) मूल अभिलेखों के अवार्ड के आधार पर तैयार करके सत्यापित कर जारी की गई प्रतिलिपि।

उपरोक्त प्रतिलिपियाँ भी मूल अभिलेख (अंतिम आदेश पत्र और प्रोरेटा भुगतान आदेश पत्र) के समकक्ष मान्य होंगी।

**c) In case of Emergency (BMHRC)**

- i. Verification of documents will be carried out by CMO on duty/In charge registration or on duty registration employee as per their availability.
- ii. Birth certificate from Nagar Nigam or Matriculation (10<sup>th</sup>) mark sheet of dependent.
- iii. गैस पीड़ित आश्रितों के पंजीयन के लिए जन्मतिथी के प्रमाण के दस्तावेजों के रूप में नगर निगम द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल की अंकसूची (कक्षा दसवीं) के नहीं होने पर निम्नलिखित दस्तावेज भी जन्मतिथी प्रमाण के दस्तावेजों के रूप में मान्य होंगे जिनमें गैस पीड़ित माता या पिता का नाम अंकित हो अथवा दस्तावेजों में माता या पिता का आश्रित से संबंध स्थापित होता हो।

- (1) मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा जारी किसी भी कक्षा की अंकसूची जिसमें जन्मतिथी अंकित हो।
- (2) राशन कार्ड (यदि जन्मतिथि लिखी हो)
- (3) पासपोर्ट
- (4) पेन कार्ड
- (5) ड्रायविंग लायसेंस
- (6) आधार कार्ड
- (7) मतदाता पहचान पत्र

मरीज जो कि गैस पीड़ितों के आश्रित हैं और उनका गैस पीड़ित आश्रित श्रेणी के अन्तर्गत पंजीयन होना है जिसके लिए जन्मतिथी प्रमाण के दस्तावेजों के रूप में उपरोक्त दस्तावेजों के नहीं होने पर ऐसी स्थिति में उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन विभाग /मिनी यूनिट में उपलब्ध घोषणा पत्र क्रमांक 2 भरकर स्व-प्रमाणित करके प्रस्तुत करने पर मान्य होगा।

- iv. 2 Passport Size photographs.
- v. Original Antim Adesh Patra (final decision paper) of Gas Victim.
- vi. Original Pro Rata paper of Gas Victim.

**vii.** गैस पीड़ितों के अभिलेख अंतिम आदेश पत्र और प्रोरेटा भुगतान आदेश पत्र की मूल प्रति नहीं होने पर, निम्न प्रकार की प्रतिलिपियाँ जो कि कार्यालय कल्याण आयुक्त गैस राहत द्वारा जारी की गई हैं।

- सत्य, सत्यापित, प्रमाणित प्रतिलिपि।
- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जारी की गई प्रतिलिपि।
- नकल (फोटो कापी) मूल अभिलेखों के अवार्ड के आधार पर तैयार करके सत्यापित कर जारी की गई प्रतिलिपि।

उपरोक्त प्रतिलिपियाँ भी मूल अभिलेख (अंतिम आदेश पत्र और प्रोरेटा भुगतान आदेश पत्र) के समकक्ष मान्य होंगी।

4. The ID of dependent will be mapped with the registered Gas Victim in order to get the information pertaining to number of dependents for registered Gas victim.
5. The series of dependent will start from “3”. The relationship of dependents ID generated at the time of registration of GVD with his/her concerned Health Centre is as follows:

S. No.	Health Centre	GVD Patient ID Series
1	I	30xxxxxx
2	II	31xxxxxx
3	III	32xxxxxx
4	IV	33xxxxxx
5	V	34xxxxxx
6	VI	35xxxxxx
7	VII	36xxxxxx
8	VIII	37xxxxxx

6. The GVD patient ID will be generated automatically by the software on entering parents Gas Victims ID ( either father or mother).
  - (a) for the concerned Health Centre in case of Registration at Health Center.
  - (b) and for selected Health Centre in case of Registration at Main Hospital.
7. All demographic details of the dependent will be directly pulled from the details of registered Gas Victim.
8. Current address / mobile no etc. if not updated in system for parents need be collected/ recorded.

**Note:** (1) The GVD patient registered using this system can later be transferred to any of the units as per required of the patients, so the proposed mapping exercise needs to be done only at the time of registration.  
(2) A different series of patient Ids for each Health Centre will be assigned to both Main Hospital and Health Centres.